

—: न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म0प्र0) :-

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश

क्रमांक— 940 / 2026

उज्जैन, दिनांक : 12/10/2026

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक—591/2026, उज्जैन दिनांक 20/04/2026 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जा रहा है :-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्थानीय क्षेत्र	कार्य का विवरण
तहसील—बड़नगर			
20.	श्री गौरव चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर	तहसील बड़नगर	1— अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- 1— बड़नगर
		तहसील बड़नगर	2— कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क्र. 133/एक-11-1/11 उज्जैन दिनांक 11/09/2025 के आदेशानुसार Water (Prevention and Controll of Pollution) Act 1974, The Air (Prevention and Controll of Pollution) Act 1981, The Environment Protection Act, The Indian Forest Act and The Wild Life Act के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील बड़नगर	3— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र बड़नगर से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4— तहसील बड़नगर सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य प्राणी एवं वन अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।

		जिला उज्जैन	5- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियों।
21.	श्रीमती रिचा गोयल बंसल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर		मातृत्व अवकाश
23.	श्रीमती भावना जाटवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर	तहसील बड़नगर	1- निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- 1- माटपचलाना (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग)
		तहसील बड़नगर	2- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र माटपचलाना (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग) से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियों।
22.	सुश्री अवनी व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर	तहसील बड़नगर	1- अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- 1- इंगोरिया (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग)
		तहसील बड़नगर	2- कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क. 02/एक-15-1/2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील बड़नगर सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/न्यायालय को है एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भूत होने

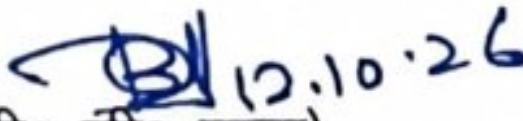
			वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील बड़नगर	3- तहसील बड़नगर सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं.की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील बड़नगर	4- तहसील बड़नगर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलें जो महिला थाना उज्जैन में पंजीबद्ध हुए हो।
		तहसील बड़नगर	5- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र इंगोरिया (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग) से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	6- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
तहसील-नागदा			
25.	श्री मनीष पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा	तहसील नागदा	1- अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- 1- नागदा, 2- उन्हैल
		तहसील नागदा	2- कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क्र. 133/एक-11-1/11 उज्जैन दिनांक 11/09/2025 के आदेशानुसार Water (Prevention and Controll of Pollution) Act 1974, The Air (Prevention and

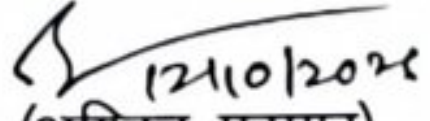
			Controll of Pollution) Act 1981, The Environment Protection Act, The Indian Forest Act and The Wild Life Act के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील नागदा	3- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र नागदा व उन्हेंल से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4- तहसील नागदा सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य प्राणी एवं वन अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
		जिला उज्जैन	5- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
26.	श्रीमती सौम्या विजयवर्गीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा	मातृत्व अवकाश	
28.	श्रीमती सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा	तहसील नागदा	1- अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- 1- बिरलाग्राम (तहसील नागदा में आने वाला क्षेत्र) 2- जी0आर0पी0 चौकी, नागदा
		तहसील नागदा	2- कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क्र. 02/एक-15-1/ 2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/ न्यायालय को है एवं तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक

			प्रकरण एवं घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण।
		तहसील नागदा	3- तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं.की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील नागदा	4- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र बिरलाग्राम (तहसील नागदा में आने वाला क्षेत्र), जी०आर०पी० चौकी नागदा से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	5- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियों।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आज दिनांक-12/10/2026 से ही प्रभावशील होगा।

अनुमोदित


(पी० सी० गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म०प्र०)


(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म०प्र०)

प्रतिलिपि :-

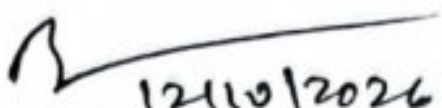
12 OCT 2026

पृष्ठांकन क्रमांक- 940 / 2026

उज्जैन, दिनांक-12/10/2026

- 1- माननीय उच्च न्यायालय म० प्र० जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/3175/तीन-10-48 /98 जबलपुर दिनांक 09-सितम्बर-2009 के पालन में सादर प्रेषित।
- 2- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- माननीय श्री/श्रीमती समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन/खाचरौद/नागदा/महिदपुर/तराना एवं बड़नगर की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 4- श्री/श्रीमती/कु. समस्त ए.सी. जे.एम./जे.एम.एफ.सी.उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

- 5- अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
- 7- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सूचित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।


12/10/2024
(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)